न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 83/2024

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

अप्रार्थी–1
नरेश कुमार गर्ग पुत्र करमचंद (रिटेलर)
मैसर्सः–करमचंद नरेश कुमार, पुरानी धान मंडी, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 05, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी–2
सुदेश कुमार पुत्र हंसराज (होलसेलर)
मैसर्सः–रामपुरा टी ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट, नजदीक पॉवर हाउस, जिला श्रीगंगानगर।
निवासीः–08 ए, ज्योति नगर, वार्ड नं. 36, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी–3
स्नेहलता पत्नी सुरेश गर्ग (निर्माता)
मैसर्सः–स्नेह सेल्स कॉर्पोरेशन, 103–104 होलसेल मार्केट, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
निवासीः–08 ए, ज्योति नगर, वार्ड नं. 36, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी–01 एवं अप्रार्थी–02 स्वयं, पति अप्रार्थी–03 उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांक :–13.08.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 31.03.2023 को समय सायं 04.15 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–करमचंद नरेश कुमार, पुरानी धान मंडी, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर नरेश कुमार गर्ग पुत्र करमचंद (रिटेलर) निवासी–वार्ड नं. 05, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी में लगभग 20 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Maha Mani Brand) रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Maha Mani Brand) विक्रेता से नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Tea (Maha Mani Brand) के खरीद मूल का 670/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ... है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व ... नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच ... गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा ... अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ ... है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 04 पैकेट X 500 ग्राम वजनी Tea (Maha Mani Bra... पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके–2558 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके–2558 मिन पर दर्ज कर चारों पैकेटों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:08 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार–चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 486 दिनांक 17.04.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6966–67 दिनांक 24.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2023/12741 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता/रिटेलर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Tea (Maha Mani Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित रिटेलर ने उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स रामपुरा टी ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट, नजदीक पावर हाउस, श्रीगंगानगर से क्रय करना बताया। जिसका इनवाईस नं. जीएसटी/0493/2022–23 दिनांक 03.03.2023 फर्म द्वारा संलग्न किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/16748 दिनांक 10.10.2023 द्वारा मैसर्स रामपुरा टी ट्रेडर्स, होलसेल मार्केट, नजदीक पावर हाउस, श्रीगंगानगर 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर/पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Tea (Maha Mani Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। संबंधित होलसेलर ने उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म मैसर्स–स्नेह सेल्स कॉर्पोरेशन, 103–104 होलसेल मार्केट श्रीगंगानगर से क्रय करना बताया गया। होलसेलर द्वारा खाद्य लाईसेंस, आधार कार्ड एवं क्रय बिल संख्या जीएसटी/236 दिनांक 03.03.2023 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बिल के आधार पर एवं जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर की रिपोर्ट में अंकित निर्माता फर्म मैसर्स–स्नेह सेल्स कॉर्पोरेशन, 103–104 होलसेल मार्केट श्रीगंगानगर के फूड लाइसेंस के आधार पर ऑनलाईन निर्माता फर्म का खाद्य लाइसेंस एवं उत्तरदायी व्यक्ति का आधार कार्ड प्राप्त कर अभियोजन में निर्माता फर्म को सम्मिलित किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Misbranded खाद्य पदार्थ Tea (Maha Mani Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Tea (Maha Mani Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी–1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी–2 (पति अप्रार्थी–3) एवं अप्रार्थी–3 की ओर से संयुक्त रूप से अप्रार्थी–2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त नमूना की लैब रिपोर्टानुसार क्वालिटी सही पाई गई है। मात्र लैबलिंग संबंधी कमी आई है। अप्रार्थी–2 द्वारा उच्च क्वालिटी का माल ... किया जाता है। एफएसएसए नियमों में परिवर्तन होने के कारण प्रोडक्ट मिसब्राण्डेड आया ... खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्टानुसार पैकेजिंग पर लाइसेंस नं. अंकित ... जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umed Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:08 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Tea (Maha Mani Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Misbranded Tea (Maha Mani Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी–1 पर 2,000/–(अखरे रूपये दो हजार मात्र), अप्रार्थी–2 पर 3,000/–(अखरे रूपये तीन हजार मात्र) एवं अप्रार्थी–3 पर 10,000 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 15,000/–(अखरे रूपये पंद्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:08 IST
Reason: SelfAttested